

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग।

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश)

पत्रांक 85/14-1 अमेठी दिनांक 15 जुलाई 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषय— उत्तर रेलवे द्वारा जंघई-प्रतापगढ़-अमेठी सेक्शन के किमी0 924.000 से 934.450 तक जनपद अमेठी में प्रस्तावित रेल ट्रैक के दोहरीकरण कार्य में प्रभावित 6.1698 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/RAIL/43121/2019
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रस्ताव एवं विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उत्तर रेलवे द्वारा जंघई-प्रतापगढ़-अमेठी सेक्शन के किमी0 924.000 से 934.450 तक जनपद अमेठी में प्रस्तावित रेल ट्रैक के दोहरीकरण कार्य में प्रभावित 6.1698 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 2816 वृक्ष बाधक है, के गैर वानिकी उपयोग का कार्य प्रस्तावित है। विषयगत प्रस्ताव के भाग-2 का पूर्ण कर एवं चेकलिस्ट के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित 04 प्रतियों में संलग्नकर महोदय की सेवा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(यू0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग।

पत्रांक / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त विषयक सन्दर्भित-पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, प्रतापगढ़।
3. उप मुख्य अभियन्ता निर्माण, पंचम, लखनऊ, उत्तर रेलवे।

(यू0पी0 सिंह)


प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, अमेठी